प्रेस विज्ञप्ति
जनपद सोनभद्र
दिनांक-16.09.2024

थाना चोपन व एसओजी /सर्विलांस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता, अज्ञात बदमाशों द्वारा गुरमुरा में दिनांक 10.09.2024 को राकेश गुप्ता की, की गयी निर्मम हत्या का सफल अनावरण, घटना में वांछित अभियुक्त गण गिरफ्तार व आला कत्ल तमंचा, चाकू तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व मोबाइल फोन बरामद

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, श्री अशोक कुमार मीणा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण तथा कुशल नेतृत्व व मार्ग दर्शन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चोपन क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम गुरमुरा में दिनांक 10.09.2024 की शाम करीब 07.00 बजे अज्ञात बदमाशों द्वारा ग्राम गुरमुरा के रहने वाले राकेश गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता उम्र करीब 25 वर्ष की चाकू व गोली से मारकर हत्या करने के सम्बन्ध में मृतक के पिता श्री ओमप्रकाश द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर दिनांक 10.09.2024 को थाना चोपन पर मु0अ0सं0 178/2024 धारा- 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा उपरोक्त घटना के अनावरण हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक चोपन द्वारा एसओजी प्रभारी व सर्विलांस प्रभारी तथा थाना कोन व थाना करमा के प्रभारी निरीक्षक के सहयोग से घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 15.09.2024 को मुखबीर की सूचना पर चोरपनिया जंगल मोड़ के पास से उक्त अभियोग से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त गण 1. विनोद कुमार गौड़ उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 रामदेव गौड़ निवासी ग्राम डुमरडीहा थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र हालपता वार्ड नं0- 09 पी टाईप झोपड़ी रेनूकूट थाना पिपरी जनपद सोनभद्र, 2. सुरेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र रामदेव गौड़ निवासी ग्राम डुमरडीहा थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र, 3. आशीष कुमार भारती पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम रेहटा थाना अनपरा जनपद सोनभद्र, 4. ललित पटेल पुत्र स्व0 बृहस्पति निवासी ग्राम मेडरदह थाना अनपरा जनपद सोनभद्र हालपता HH 285 हिण्डालको कालोनी रेनूकूट थाना पिपरी जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल तमन्चा व आलाकत्ल चाकू तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- मृतक राकेश गुप्ता द्वारा सीमा पुत्री ललित पटेल निवासी हिण्डालको कालोनी रेनूकूट के साथ मई वर्ष 2023 में लव मैरिज शादी मंदिर में किया गया था। जिससे सीमा के पिता ललित पटेल खुश नही थे। सीमा के पिता ललित पटेल द्वारा ही सीमा के पति राकेश गुप्ता की हत्या किये जाने हेतु अभियुक्त विनोद कुमार गौड़ उर्फ गुड्डू को एडवांस के रूप में करीब पांच छः महीना पहले 90 हजार रूपया नगद दिया गया था तथा काम होने पर पन्द्रह से बीस लाख रूपये और देने को कहा गया था। दिनांक 27.08.2024 की रात करीब 08 बजे अभियुक्त गण विनोद कुमार गौड़ उर्फ गुड्डू, आशीष कुमार भारती व सुरेन्द्र कुमार गौड़ भाडे की स्विफ्ट डिजायर कार से

राकेश गुप्ता के घर पर आये थे और सिगरेट लेने के बहाने उसे घर से खीचने का प्रयास किये किन्तु सीमा द्वारा दरवाजा बंद कर देने व चिल्लाने के कारण अभियुक्त गण मौके से फरार हो गये। उसके बाद सीमा के पिता ललित पटेल द्वारा पुनः विनोद कुमार गौड़ उर्फ गुड्डू के ऊपर दबाव बनाया गया कि एडवांस में पैसा ले लिये हो और काम नही कर रहे हो तो पैसा वापस कर दो। ललित पटेल द्वारा ही अभियुक्त गण विनोद कुमार गौड़ उर्फ गुड्डू, आशीष कुमार भारती व सुरेन्द्र कुमार गौड़ को डाल्टेनगंज झारखण्ड से अवैध तमन्चा व कारतूस तथा चाकू उपलब्ध कराया गया था। दिनांक 10.09.2024 को अभियुक्त गण विनोद कुमार गौड़ उर्फ गुड्डू, आशीष कुमार भारती व सुरेन्द्र कुमार गौड़ द्वारा रेनूकूट में योजना बनाकर सुरेन्द्र कुमार गौड़ की होन्डा एसपी मोटर साइकिल नम्बर UP64AW8044 से दिन में दस बजे ही रेनूकूट से हाथीनाला होते हुए गुरमुरा गये फिर तेलगुडवा गये फिर डाला में जाकर शराब पिये उसके बाद जवारीडाड बाजार में राकेश गुप्ता को घर जाने का इंतजार करने लगे और जब शाम हुई तो राकेश गुप्ता अपना खरीदा हुआ फुटकर अनाज अपने परिचित के पिकप पर लादकर पिकप के आगे अपनी मोटर साइकिल से अपने घर की ओर जाने लगा तो अभियुक्त गण भी उसके पीछे पीछे अपनी मोटर साइकिल से चल दिये । राकेश गुप्ता मेन रोड से अपने घर की ओर न मुड़कर अपनी मोटर साइकिल से तेज गति से मेन रोड पर सीधे पेट्रोल पम्प की ओर चला गया तो अभियुक्त गण मेन रोड से उसके घर की तरफ मुड़कर गये और राकेश के घर के पहले करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित आंगनवाडी केन्द्र की बडी बाउन्ड्री के पास खडे होकर राकेश गुप्ता के आने का इंतजार करने लगे थोडी देर बाद जैसे ही राकेश मोटर साइकिल से आता दिखाई दिया तो बडी बाउन्ड्री के पास खड़ा आशीष कुमार भारती मोटर साइकिल को धक्का देकर राकेश गुप्ता को गिरा दिया, राकेश गुप्ता की मोटर साइकिल पर पीछे बोरी में सामान लेकर बैठा व्यक्ति महेन्द्र कुमार पटेल भी वहाँ पर गिर गया तथा अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार गौड द्वारा मोटर साइकिल के पास खडा होकर आने जाने वाले लोगो की निगरानी कर रहा था उसी के द्वारा राकेश गुप्ता की मोटर साइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति महेन्द्र पटेल को को डाटकर भागने को कहा गया इतने में अभियुक्त आशीष कुमार भारती अपने हाथ में लिए धारदाऱ रामपुरिया चाकू से राकेश गुप्ता के सीने पर जोरदार प्रहार किया गया जिससे राकेश गुप्ता चिल्लाते हुए कुछ दूर जाकर गिर गया उसके बाद अभियुक्त विनोद कुमार गौड उर्फ गुड्डू द्वारा तमन्चे से राकेश गुप्ता के पीठ में फायर कर दिया जिससे वह छटपटाकर गिर गया और तीनो अभियुक्त गण सुरेन्द्र कुमार गौड की मोटर साइकिल पर बैठकर डाला ओबरा होते हुए अनपरा भाग गये तथा घटना के बाद लोग लुक छिपकर रह रहे थे । दिनांक 15.09.2024 को वादे के अनुसार ललित पटेल से हत्या के सुपारी का पैसा लेने चोरपनिया जंगल के पास आये थे कि गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण-</u> मु0अ0सं0 178/24 धारा- 103(1), 61(2)(a) बी.एन.एस. तथा 3/25 व 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्त गण का विवरण –</u>

1. विनोद कुमार गौड़ उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 रामदेव गौड़ निवासी ग्राम डुमरडीहा थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र हालपता वार्ड नं0- 09 पी टाईप झोपड़ी रेनूकूट थाना पिपरी जनपद सोनभद्र उम्र करीब 35 वर्ष।
2. सुरेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र रामदेव गौड़ निवासी ग्राम डुमरडीहा थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र उम्र करीब 30 वर्ष।
3. आशीष कुमार भारती पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम रेहटा थाना अनपरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 23 वर्ष।
4. ललित पटेल पुत्र स्व0 बृहस्पति निवासी ग्राम मेडरदह थाना अनपरा जनपद सोनभद्र हालपता HH 285 हिण्डालको कालोनी रेनूकूट थाना पिपरी जनपद सोनभद्र उम्र करीब 58 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक– 15.09.2024, समय- 17.40 व 19.20 बजे, स्थान- चोरपनिया जंगल मोड़ के पास से थाना चोपन जनपद सोनभद्र ।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद आलाकत्ल तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर(अभियुक्त विनोद कुमार गौड़ उर्फ गुड्डू के कब्जे से) ।
2. एक अदद आलाकत्ल चाकू (अभियुक्त आशीष कुमार भारती के कब्जे से) ।
3. घटना में प्रयुक्त होन्डा एसपी मोटर साइकिल संख्या- UP64AW8044 (अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार गौड़ के नाम से पंजीकृत) ।
4. तीन अदद एंड्रायड मोबाइल फोन ।
5. 510/- रूपया नगद ।

घटना का अनावरण/ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

01. प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
02. निरीक्षक रामस्वरूप वर्मा प्रभारी एसओजी प्रभारी जनपद सोनभद्र ।
03. प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र मय हमराह।
04. प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह थाना करमा जनपद सोनभद्र मय हमराह।
05. निरीक्षक अपराध इरफान अली थाना चोपन जनपद सोनभद्र ।
06. उ0नि0 नागेश कुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद सोनभद्र ।
07. व0उ0नि0 उमाशंकर यादव थाना चोपन जनपद सोनभद्र ।
08. उ0नि0 सुरेश चन्द्र द्विवेदी चौकी प्रभारी गुरमा थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
09. उ0नि0 मेराज खाँ थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
10. हे0का0 सतीश पटेल, हे0का0 संजय चौहान, का0 रितेश पटेल, का0 प्रेमप्रकाश चौरसिया व का0 अजीत कुमार यादव एसओजी टीम सोनभद्र।
11. हे0का0 सौरभ राय व का0 शिवम मौर्या सर्विलांस सेल जनपद सोनभद्र।
10. हे0का0 रूद्रकांत यादव, हे0का0 सर्वेश सिंह, हे0का0 नागेन्द्र पटेल, का0 किशन यादव, का0 चन्द्रजीत यादव थाना चोपन जनपद सोनभद्र ।